



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30666

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4024 वर्ष 2026

छत्रपाल और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव प्रकाश

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/ उप जिलाधिकारी, संभल, जिला संभल को भूमि के सीमांकन हेतु दिनांक 23.07.2025 के आवेदन को निस्तारित करने के लिए निर्देशित करने हेतु परमादेश की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त आवेदन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि यदि याचिकाकर्ताओं की किसी कृषि जोत के संबंध में कोई सीमांकन किया जाना है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उचित उपचार प्रदान किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन दायर करने पर एक उचित मामला पंजीकृत किया जाएगा और उसके बाद दूसरे पक्ष को सुनने के बाद, संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही की जाएगी। उनका तर्क है कि एक प्रभावी उपचार की उपलब्धता के आलोक में, रिट याचिका विचारणीय नहीं है।
5. दलीलों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा भेजा गया आवेदन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत प्रभावी उपचार के आलोक में विचारणीय नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आलोक में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता चाहें तो, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत धारा 24 के अंतर्गत उचित आवेदन दायर किया जा सकता है, जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अधिदेश के अनुसार निस्तारित किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त अनुमति के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

11 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"